न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 57/2022

रजिस्ट्रेशन नं. :2022/76

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– सुधीर पुत्र महावीर प्रसाद जैन, मैसर्स शुभम ट्रेडर्स, 28 इण्डस्ट्रीयल एरिया, ठिकरीया, बॉसवाडा।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 12.12.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज.) के द्वारा दिनांक 25–11–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 10–02–2022 को 12.15 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स शुभम ट्रेडर्स, 28 इण्डस्ट्रीयल एरिया, ठिकरीया, बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **सुधीर पुत्र महावीर प्रसाद जैन** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि RUSK का निर्माण किया जा रहा है यह आमजन को बिक्री वास्ते होना बताया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए RUSK पैक टीन से 800 ग्राम वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 80 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा RUSK को चार साफ सुखी चौडे मुह की जार में बराबर बराबर लेकर ढक्कन एयर टाईड बन्द किया तथा नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला [illegible] किया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मु[illegible] स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/[illegible]22 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 191 दिनांक [illegible] अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया RUSK का नमुना Sub-standard

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

ood under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा RUSK का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 28–11–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 12.12.2022 को अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपीगणो द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/92–93 दिनांक 15.03.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 191 दिनांक 28.02.22 अनुसार विक्रेता से वारते नमूना जांच हेतु क्रय किया RUSK का नमुंना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टेण्डर्ड RUSK को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **सुधीर पुत्र महावीर प्रसाद जैन, मैसर्स शुभम ट्रेडर्स**, 28 इण्डस्ट्रीयल एरिया, ठिकाना [illegible] 30,000/– (अक्षरे रू तीस हजार मात्र)के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता [illegible] खाद्य [illegible] एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित [illegible] चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सु[illegible] कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष मे जमा कराकर चालान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 12–12–2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner